

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)

email- secraj@rajasthan.gov.in & secrajasthan@gmail.com, FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांक: एफ.7(3)(1)पंचा/रानिआ/13/5221

दिनांक: 31.12.2025

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी
(पंचायत)(कलक्टर) राजस्थान।

विषय:- पंचायतीराज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए मतदान केन्द्रों की स्थापना के संबंध में।

महोदय,

पंचायतीराज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए मतदान केन्द्रों की स्थापना के संबंध में राजस्थान पंचायत (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 30 में प्रावधान वर्णित है, जो निम्नानुसार है:-

“30. Polling Stations and Polling Booths.- (1) If a poll is to be held in any ward, the Returning Officer subject to any general or special order of the District Election Officer (Panchayats) shall select a suitable place for a polling station :

Provided that the place so selected shall not ordinarily be outside the place of the headquarters of the Panchayat to which the election is to be held.

(2) The Returning Officer subject to any general or special order of the District Election Officer (Panchayats) may establish in each polling station as many polling booths as he may consider necessary and where more booths than one are so established, he shall direct that the electors of the ward commencing from and ending with specific serial numbers on the voters list thereof, or electors of more than one ward shall be admitted to cast their votes in a particular booth.

(3) A notice announcing the place of polling station shall be published at the office of Panchayat or if there is no office of Panchayat at the place selected for polling station at least a day before the elections are held.”

उक्त नियम 30 के उप नियम (1) के अनुसार यदि किसी वार्ड में मतदान कराना हो तो रिटर्निंग अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) के साधारण या विशेष आदेश के अध्यक्षीन रहते हुए मतदान केन्द्र के लिए उपयुक्त स्थान का चयन करेगा, परन्तु ऐसा चयनित स्थान सामान्यतः उस पंचायत मुख्यालय से बाहर का स्थान नहीं होगा, जिसके लिए निर्वाचन कराया जाना है।

उप नियम (2) के अनुसार रिटर्निंग अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) के किसी साधारण या विशेष आदेश के अध्यक्षीन रहते हुए, प्रत्येक मतदान केन्द्र में उतने मतदान बूथ स्थापित कर सकेगा, जितने वह आवश्यक समझे और जहाँ इस प्रकार एक से अधिक बूथ स्थापित किए जाने हैं, वहाँ वह निदेश देगा कि विनिर्दिष्ट क्रम संख्याओं से प्रारंभ और समाप्त होने वाले वार्ड के उसकी मतदाता सूची के निर्वाचकों को या एक से अधिक वार्ड के निर्वाचकों को बूथ-विशेष में अपने-अपने मत डालने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा।

इसी तरह उप नियम (3) के अनुसार मतदान केन्द्र के स्थान की घोषणा संबंधी एक नोटिस पंचायत कार्यालय पर, या यदि पंचायत कार्यालय नहीं है तो मतदान केन्द्र के लिए चयनित स्थान पर, निर्वाचन होने से कम से कम एक दिन पूर्व, प्रकाशित किया जाएगा।

पंचायतीराज संस्थाओं के निर्वाचन हेतु मतदान केन्द्रों की स्थापना के संबंध में आयोग द्वारा पूर्व में जारी पत्र क्रमांक 3599 दिनांक 26.11.2024 एवं 1586 दिनांक 10.05.2019 को अधिक्रमित करते हुए भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 ट द्वारा प्रदत्त शक्तियों एवं इस निमित्त उसे समर्थ बनाने वाली सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए मतदान केन्द्रों/बूथों की स्थापना करने करने के संबंध में निम्नलिखित निर्देश जारी करता है :-

1. मतदान केन्द्र/बूथ पंचायत मुख्यालय पर ही स्थापित किए जाएं ताकि रिटर्निंग अधिकारी/ मतदान अधिकारी मतदान का प्रभावी रूप से अधीक्षण कर सकें तथा मतपेटियों/इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की आवश्यकता नहीं रहे। यदि किसी मतदान केन्द्र के संबंध में पिछले आमचुनाव/उपचुनाव में कोई शिकायत प्राप्त हुई हो या निर्वाचन अधिकारियों के ध्यान में कोई कमी आई हो, तो अब मतदान केन्द्र के चयन करते समय उसे भी ध्यान में रखा जावे।
2. चूंकि निर्वाचक नामावली में मतदान केन्द्रों/बूथों का नाम भी अंकित होगा, अतः मतदान केन्द्रों/बूथों का चयन निर्वाचक नामावली के प्रारूप प्रकाशन से पूर्व ही कर लिया जावे।
3. निर्वाचक नामावली ग्राम पंचायत के वार्डवार तैयार की जाएगी। सामान्यतः एक मतदान बूथ में 1100 से अधिक मतदाता नहीं होने चाहिए।
4. पंचायत मुख्यालय पर एक से अधिक भवनों में बूथ स्थापित किये जा सकते हैं, किन्तु एक वार्ड एक ही जगह रहेगा। एक ही भवन में एक से अधिक बूथ होने की स्थिति में मतदान केन्द्र/बूथ का पूर्ण विवरण यथा भवन का दाहिना भाग/बायाँ भाग/कमरा नंबर, इत्यादि अंकित किया जावे। यथासंभव समस्त बूथ एक भवन में स्थापित किये जावे, परन्तु यदि यह संभव न हो तो विभिन्न भवनों में बूथ स्थापित किये जा सकते हैं परन्तु ऐसा भवन उसी ग्राम में स्थित हो एवं यथासंभव सभी भवन पास-पास हों।
5. एक से अधिक बूथ स्थापित करने पर वार्डों की सघनता (Compactness) खण्डित न हो। प्रत्येक वार्ड अपने आप में एक निर्वाचन क्षेत्र होता है। अतः सम्पूर्ण वार्ड एक ही बूथ पर रहेगा, अलग-अलग बूथों में विभाजित नहीं होगा।
6. मतदान बूथों की क्रम संख्या पंचायत समितिवार आवंटित की जाए। उदाहरणार्थ यदि किसी पंचायत समिति में 25 ग्राम पंचायत सम्मिलित है एवं इन समस्त ग्राम पंचायतों में कुल 300 वार्ड हैं, तो उस पंचायत समिति के लिए मतदान बूथों की संख्या 1 से प्रारम्भ होकर 300 पर समाप्त होगी।
7. जहाँ कोई ग्राम पंचायत एक से अधिक पंचायत समिति निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित हो, तो ऐसे मामलों में पंचायत समिति निर्वाचन क्षेत्र में विभाजित होने वाली ग्राम पंचायत के वार्ड/वार्डों के लिए पंचायत मुख्यालय पर पृथक मतदान बूथ स्थापित किए जायेंगे, चाहे मतदाताओं की संख्या कितनी ही कम हो। उदाहरणार्थ यदि किसी ग्राम पंचायत में कुल 9 वार्ड हैं एवं उसके वार्ड संख्या 1 से 8 पंचायत समिति के निर्वाचन क्षेत्र संख्या 10 में है एवं वार्ड संख्या 9 उस पंचायत समिति के निर्वाचन क्षेत्र संख्या 11 में है, तो उस ग्राम पंचायत के वार्ड संख्या 9 के लिए पृथक मतदान बूथ की स्थापना की जाएगी, चाहे उस वार्ड में मतदाताओं की संख्या कितनी भी कम हो।
8. मतदान केन्द्र पक्के सरकारी, अर्द्ध-सरकारी व सार्वजनिक भवनों में स्थापित किए जाए। किन्तु यदि किन्हीं कारणों से निजी भवन में कोई मतदान केन्द्र स्थापित करना पड़े तो ऐसे व्यक्ति या

संस्था के मकान में मतदान केन्द्र स्थापित नहीं किये जाएं, जो किसी राजनीतिक दल अथवा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार से संबद्ध हो। चूंकि मतदान केन्द्रों का चयन चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची तैयार होने से काफी पहले ही कर लिया जायेगा, इसलिए तत्समय यदि चयनित मतदान केन्द्र किसी चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार से किसी भी रूप में संबंधित पाया जाता है, तो उसे **आयोग की सहमति प्राप्त कर तुरन्त परिवर्तित किया जाये।**

9. किसी धार्मिक महत्व के स्थल, पूजा स्थल, अस्पताल, पुलिस थाना भवन पर मतदान केन्द्र स्थापित नहीं किए जाए।
10. मतदान केन्द्र विद्यालय में स्थापित किए जाने पर इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि मतदान कक्ष विद्यालय का स्टोर या कार्यालय कक्ष नहीं हो। जहां तक संभव हो सके शिक्षण कक्षों को ही मतदान केन्द्र के रूप में काम में लें। पिछले आम चुनाव के पश्चात् राज्य एवं केन्द्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत विद्यालय में नए कक्षों का निर्माण कराया गया है। इन्हें मतदान केन्द्रों के रूप में प्राथमिकता दें।
11. मतदान केन्द्र पर सुस्पष्ट रूप से पीले रंग की पृष्ठभूमि पर काले रंग से आयताकार आकृति, जिसकी नाप 1.5' X 1' हो, में मतदान बूथ का कमांक एवं विवरण तथा उस बूथ में सम्मिलित वार्ड संख्याक पेन्ट कराया जाना भी सुनिश्चित करें। इस हेतु नमूना परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।
12. मतदान केन्द्र पर अधिक भीड़-भाड़ से बचने के लिए यथासंभव एक भवन में चार से अधिक बूथ स्थापित नहीं किए जाएं।
13. मतदाता सूचियों का प्रारूप/अंतिम प्रकाशन मुद्रित प्रतियों से होने के कारण मतदान केन्द्र का नाम एवं बूथ का विवरण मय बूथ संख्या मतदाता सूचियों के साथ ही मुद्रित होंगे। यह संभव है कि आप द्वारा चयनित मतदान केन्द्रों/बूथों में मतदाता सूचियों के प्रारूप/अंतिम प्रकाशन के पश्चात् कोई परिवर्तन हो जाये तो ऐसी स्थिति में आप मतदाता सूचियों के संबंधित भाग की मुद्रित प्रतियों में मतदान केन्द्र की संख्या एवं नाम में शुद्धि हेतु रबड की मोहर का प्रयोग कर सकते हैं। मतदान केन्द्रों के स्थान में इस प्रकार किये जाने वाले परिवर्तन से पूर्व प्रत्येक मामले में राज्य निर्वाचन आयोग की अनुमति आवश्यक होगी।
14. एक मतदान केन्द्र के प्रत्येक बूथ में एक या एक से अधिक वार्डों के मतदाता मत डाल सकते हैं। चूंकि पंचायत चुनाव में वार्ड ही निर्वाचन क्षेत्र होता है एवं एक वार्ड में औसतन 300-400 मतदाता होते हैं। बिन्दु संख्या-3 में अंकित निर्देशों के अनुसार एक मतदान केन्द्र पर 1100 से अधिक मतदाता नहीं होने चाहिए। अतः स्पष्ट है कि एक बूथ पर एक से अधिक वार्डों के मतदाता मत डाल सकते हैं।
15. मतदान केन्द्र के भवन का चयन करते समय इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि वहां मतदाताओं के प्रवेश एवं निकासी के लिये पर्याप्त स्थान हो। जहां तक संभव हो मतदान केन्द्र के रूप में ऐसे भवनों का चयन किया जाना चाहिए जिसमें कमरों में प्रवेश एवं निकास के लिए पृथक-पृथक दरवाजे हो। साथ ही यह भी देखा जाना चाहिए कि मतदान बूथ में हवा एवं रोशनी की पर्याप्त सुविधा हो।
16. नियम 30(3) के अनुसार मतदान केन्द्रों के स्थान की घोषणा संबंधी एक नोटिस पंचायत कार्यालय पर, या यदि पंचायत कार्यालय नहीं है तो मतदान केन्द्र पर निर्वाचन होने से कम से कम एक दिन पूर्व, प्रकाशित किया जाया जाना है। नियमों में मतदान केन्द्र के स्थान के प्रकाशन हेतु नोटिस के लिए कोई प्ररूप विहित नहीं है। अतः इस हेतु आयोग द्वारा नोटिस का प्ररूप विहित किया गया है, जो परिशिष्ट-2 पर संलग्न है। कृपया नियम 30(3) के अनुसार आयोग द्वारा विहित नोटिस के प्ररूप में मतदान केन्द्रों के लिए स्थानों का प्रकाशन किया जाना सुनिश्चित करें।

17. मतदान केन्द्रों की सूची का व्यापक प्रचार-प्रसार स्थानीय समाचार-पत्रों के माध्यम से कराया जायें।
18. मतदान केन्द्रों/बूथों की सूची के प्रकाशन के तुरन्त पश्चात् जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य तथा सरपंच का चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को संबंधित मतदाता सूची की एक प्रति निःशुल्क उपलब्ध कराई जायेंगी।
19. पंचायत समितिवार मतदान केन्द्रों/बूथों की सूची संलग्न प्रपत्र-1 में एवं मतदान केन्द्रों का विवरण संलग्न प्रपत्र-2 में तैयार कर राज्य निर्वाचन आयोग को निर्वाचक नामावली के प्रारूप प्रकाशन के तुरन्त पश्चात् प्रेषित किया जाए।
20. प्रत्येक आम/उपचुनाव से पूर्व चयनित मतदान केन्द्र का भौतिक सत्यापन निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के स्तर से करवाया जाए तथा यह देखा जाए कि मतदान केन्द्र भवन की ईमारत जर्जर अवस्था में तो नहीं हैं, उक्त भवन में निशक्तजन हेतु स्थाई रैम्प हैं अथवा नहीं। यदि स्थाई रैम्प मतदान केन्द्र में नहीं बना हुआ है तो अस्थाई रैम्प की व्यवस्था की जावें। यह भी देखा जाये मतदान केन्द्र मतदान हेतु पूर्ण सुरक्षित हैं अथवा नहीं यथा चारदीवारी बनी हुई हैं। मतदान केन्द्रों के भौतिक सत्यापन का कार्य निर्वाचक नामावली के प्रारूप प्रकाशन से पूर्व ही पूर्ण कर लिया जाए। मतदान केन्द्रों के भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट संलग्न प्रपत्र-3 में तैयार कर मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन की दिनांक को ही आयोग को प्रेषित की जाए।
21. मतदान केन्द्रों की सूची के प्रकाशन के पश्चात् यदि किसी भी कारण से मतदान केन्द्र/बूथ परिवर्तित किया जाना आवश्यक हो तो आयोग की अनुमति के पश्चात् ही मतदान केन्द्र/बूथ परिवर्तित किए जायें। इस हेतु संलग्न प्रपत्र-4 में नवीन मतदान केन्द्रों के प्रस्ताव अनुमोदन हेतु आयोग को प्रेषित किए जाए।

आज्ञा से,

(राजेश वर्मा)

मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं
सचिव

क्रमांक: एफ.7(3)(1)पंचा/रानिआ/13/5222-27

दिनांक: 31.12.2025

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त निजी सचिव, राज्य निर्वाचन आयुक्त, राजस्थान।
2. निजी सहायक, मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान।
3. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
4. समस्त रिटर्निंग अधिकारी मार्फत जिला निर्वाचन अधिकारी।
5. कम्प्यूटर शाखा को समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों को ई-मेल करने तथा आयोग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. लेखा/स्टोर/सांख्यिकी शाखा, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।

(अम्बा लाल मीणा)

उप सचिव

प्रपत्र - 1

पंचायतीराज संस्थाओं के लिए मतदान केन्द्रों की सूची का विवरण

पंचायत समिति का नाम :

ग्राम पंचायत का नाम :

| क्र. सं. | मतदान केन्द्र का विवरण (स्थान, भवन आदि) | मतदान केन्द्र में सम्मिलित बूथों का विवरण मय संख्या | मतदान बूथ में सम्मिलित वार्डों का विवरण मय वार्ड संख्यांक | बूथवार मतदाताओं की कुल संख्या | विशेष विवरण |
|----------|---|---|---|-------------------------------|-------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| | | | | | |

जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत)
(कलक्टर)

प्रपत्र - 2

पंचायतीराज संस्थाओं के मतदान केन्द्रों का विवरण

जिले का नाम :

| क्र. सं. | पंचायत समिति का नाम का नाम | ग्राम पंचायत का नाम | मतदान केन्द्रों की संख्या | मतदान बूथों की संख्या | वार्डों की कुल संख्या | विशेष विवरण |
|----------|----------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | | | | | | |

जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत)
(कलक्टर)

प्रपत्र-3

पंचायतीराज संस्थाओं के निर्वाचन हेतु मतदान केन्द्रों के भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट

जिले का नाम

ग्राम पंचायत का नाम

पंचायत समिति का नाम

विधानसभा क्षेत्र का नाम एवं संख्या

पंचायत समिति निर्वाचन क्षेत्र संख्यांक

जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्र संख्यांक

| क. सं. | मतदान केन्द्र/ भवन का नाम एवं पता | भवन की विशिष्टियां (सरकारी/ अर्द्धसरकारी / प्राईवेट) | बूथों की संख्या | मतदान केन्द्र में सम्मिलित मतदाताओं की कुल संख्या | मतदान केन्द्र की भौतिक स्थिति यथा भवन की स्थिति | मतदान केन्द्र का क्षेत्रफल | मतदान केन्द्र में स्थापित बूथों की संख्या | मतदान केन्द्र तक पहुंचने हेतु रोड की स्थिति (मतदान केन्द्र तक चलकर पहुंचने हेतु कितनी दूरी तय करनी होगी) | क्या मतदान केन्द्र/ भवन के चारों ओर चार दीवारी हैं |
|--------|-----------------------------------|--|-----------------|---|---|----------------------------|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | |

| क्या मतदान केन्द्र में निम्न सुविधाएँ उपलब्ध हैं | | | | | क्या मतदान बूथ में निम्न सुविधाएँ उपलब्ध हैं (प्रत्येक बूथ का विवरण अंकित करें) | | | | | | विशेष टिप्पणी |
|--|------------------|-----|------------------------------|--|---|---------|-----------------------------------|--|--|---|---------------|
| पेयजल | शौचालय/ मुत्रालय | रोड | रैम्प स्थाई हैं अथवा अस्थायी | क्या मतदान केन्द्र में विद्युत कनेक्शन उपलब्ध है | हवा एवं प्रकाश की स्थिति | फर्नीचर | प्रवेश एवं निकास हेतु पृथक दरवाजे | स्त्री/पुरुष मतदाता हेतु पृथक-पृथक लाईन हेतु स्थान उपलब्ध है या नहीं | क्या छत का पंखा लगा हुआ एवं चालू स्थिति में है | खिडकियां/ दरवाजे टूटे हुए हैं या ठीक स्थिति में हैं | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| | | | | | | | | | | | |

प्रति हस्ताक्षर

हस्ताक्षर सत्यापनकर्ता

जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर)
नाम, पदनाम एवं मोहर सहित

प्रपत्र - 4

पंचायतीराज संस्थाओं के निर्वाचन हेतु मतदान केन्द्रों/बूथों की सूची
के प्रकाशन के पश्चात् उनमें परिवर्तन हेतु प्रस्ताव का विवरण

| क. सं. | मतदान केन्द्र का विवरण (क्रमांक, नाम एवं पता) | वार्डों की संख्या | बूथों की संख्या | मतदाताओं की कुल संख्या | स्थान परिवर्तन हेतु प्रस्तावित मतदान केन्द्र/बूथ का विवरण (क्रमांक, नाम एवं पता) | मतदान केन्द्र/बूथ में परिवर्तन का कारण |
|--------|---|-------------------|-----------------|------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | | |

जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत)
(कलक्टर)

जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर), द्वारा प्रेषित उक्तानुसार परिवर्तित मतदान केन्द्रों/बूथों का अनुमोदन किया जाता है।

आज्ञा से,
सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर

मतदान बूथ का क्रमांक
एवं विवरण :

मतदान बूथ में सम्मिलित
वार्ड संख्याक :

